प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 24.02.24

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा चोरी किया गया ई- रिक्शा खरीदने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ई- रिक्शा बरामद

दिनांक 15.02.2024 को वादी ने 02 अज्ञात व्यक्ति द्वारा सामान लाने के लिए वादी का ई रिक्शा बुक कर रास्ते में नशीली चाय पिलाकर वादी का ई-रिक्शा चोरी करने के संबंध में थाना सिहानी गेट पर तहरीर दी, जिस पर थाना सिहानी गेट पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया। थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा मोबाइल सर्विलांस, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान चोरी की ई – रिक्शा सहित 02 शातिर अभियुक्तो को पुराने बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर मौ0 सैफ व फईम उपरोक्त ने बताया कि यह चोरी का ई-रिक्शा हमने लालच में आकर सस्ते दामों पर इमरान उर्फ टीटू पुत्र नामालूम, नि0 ओखला विहार, पट्टी सी 42, नियर अहमद मस्जिद थाना जामियानगर दिल्ली व दो व्यक्ति अज्ञात से खरीदी थी।

नाम पता अभियुक्त-

1. मोहम्मद सैफ पुत्र सलीम निवासी ओखला विहार पट्टी सी-35 नियर अहमद मस्जिद थाना जामिया नगर दिल्ली
2. फईम पुत्र नईम निवासी ओखला विहार पट्टी सी-39 नियर अहमद मस्जिद थाना जामिया नगर दिल्ली

बरामदगी का विवरणः-

ई-रिक्शा (चोरी का)

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.02.2024 को वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र शम्भूदयाल निवासी ग्राम झण्डापुर जनपद गाजियाबाद द्वारा थाना लिकंरोड पर तहरीर दी कि उसकी पुत्री को उसके पति के द्वारा दहेज के लिए दिनांक 18.02.2024 को मारपीट कर व आग लगाकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंक रोड पर सुसंगत धारओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्परता से कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त एक अभियुक्त (मृतका का पति) संदीप पुत्र विरेन्द्र निवासी गड़ीगटिया खन्ना नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद हाल पता निवासी तारा सिंह का मकान झण्डापुर थाना लिंक रोड जनपद

गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को भारद्वाज कट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि दिनांक 18.02.2024 को मेरी पत्नी ने मेरे साथ झगडा किया था। मेरे सीने पर काट लिया मैने गुस्से मे आकर उसके साथ भी मारपीट की तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संदीप पुत्र विरेन्द्र निवासी गड़ीगटिया खन्ना नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी तारा सिंह का मकान झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

_थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गाड़ी रोकने पर एलीवेटिड रोड पर बैक करके गाड़ी सहित भागने तथा कार्यसरकार मे बाधा डालने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आई-20 गाड़ी बरामद

घटना/ कार्यवाही का विवरण - दिनांक 21.02.2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान मे आया था जिसमे एक गाड़ी सवार व्यक्ति को एलिवेटिड रोड पर रोटरी गोल चक्कर से यूपी गेट की तरफ जाते समय पुलिस द्वारा रोकने पर उसके द्वारा अपनी गाड़ी आई-20 को पीछे की तरफ लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लोगों के जीवन को संकट मे डालने जैसा अपराध किया गया था।

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना इंदिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 03 टीमो का गठन किया गया था। अभियुक्त की पहचान हेतु गठित टीमो द्वारा विभिन्न स्थानो पर लगे सीसीटीवी कैमरो का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी कैमरो व मैनुअल इंटिलेजिंस के माध्यम से उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर UP-14-BN-9300 होना ज्ञात हुआ। गठित टीमो द्वारा कार संख्या UP-14-BN-9300 के स्वामी/चालक कुलदीप शर्मा पुत्र देवेन्द्र शर्मा निवासी फ्लैट नम्बर 1103 एसजी बेनिफेट सोसाइटी गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष को घटना मे प्रयुक्त गाड़ी UP-14-BN-9300 सहित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त के विरुद्द लापरवाही पूर्वक,आम लोगो के जीवन को संकट मे डालते हुए गाड़ी चलाने तथा पुलिस जांच/अन्वेषण मे बाधा डालने के आरोपो के सम्बन्ध मे नियामुनासार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त कुलदीप से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरा जमीनी विवाद माननीय न्यायालय मे विचाराधीन चल रहा है जिसमे दिनांक 21.02.2024 को नियत दिनांक को मेरी गवाही हुई थी। गवाही के बाद मै अपने वकील से मिलकर राजनगर एक्सटेंशन से यूपी गेट की तरफ जा रहा था पुलिस द्वारा मुझे रुकने का इशारा किया गया। मुझे अचानक रोकने पर मुझे डर लगा जिसके कारण मै भयभीत होकर अपने बचाव के लिए

अपनी गाड़ी को बैक गियर मे पीछे की तरफ भगाने लगा। पीछे खाली जगह देखकर मौका देखते ही मै अपनी गाड़ी को साइड करके भाग गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

कुलदीप शर्मा पुत्र देवेन्द्र शर्मा निवासी फ्लैट नम्बर 1103 एसजी बेनिफेट सोसाइटी गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

घटना मे प्रयुक्त UP-14-BN-9300 आई-20 कार

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 23.02.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस को नील मणि कालोनी कट पर सलमान होटल अर्थला मे प्रथम पक्ष के 1.मनीष सोनी पुत्र विनोद कुमार निवासी नील मणि कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद 2. सन्नी पुत्र बृहम सिह निवासी संजय कालोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद व द्वितीय पक्ष के 03 अज्ञात व्यक्ति के मध्य खाना खाते समय विवाद के दौरान गाली गलौज/मारपीट एवं प्रथम पक्ष के मनीष द्वारा अपने मामा विनोद कुमार पुत्र सुरज बली निवासी नील मणि कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गा0बाद व अनिल पुत्र स्व0 बाल किशन निवासी आश्रम रोड थाना नन्दग्राम गा0बाद फोन करके बुलाकर विनोद पुत्र सूरज बली द्वारा तमंचे से जान से मारने की नियत से फायर करने जिससे फैजान पुत्र राशिद निवासी संजय कालोनी नियर चाँद मस्जिद अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के बायें कन्धे पर फायर लगने जिससे फैजान गम्भीर रुप से घायल हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 24.02.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त 1.विनोद कुमार पुत्र सुरजबली निवासी- नीलमणि कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद 2. अनिल पुत्र स्व0 बालकिसन निवासी- आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्द ग्राम गाजियाबाद हाल पता नीलमणी कालोनी अर्थला को नाग द्वार से राजीव कालोनी जाने वाले रास्ते पर गिरफ्तार किया, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद। अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1- विनोद कुमार पुत्र सुरजबली निवासी – नीलमणि कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र लगभग 50 वर्ष

2- अनिल पुत्र स्व0 बालकिशन निवासी- आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्द ग्राम गाजियाबाद हाल पता नीलमणी कालोनी अर्थला उम्र लगभग 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण—

एक अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

साहिबाबाद पुलिस टीम